


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 19/03/2020

संख्या-14/विविध (नीति)-903/2020- 4033 /सा0प्र0- राज्य के सभी जिला के "अपर समाहर्ता" के पद को एतद् द्वारा "अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी" के रूप में पदनामित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
19/3/2020

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14/विविध (नीति)-903/2020- 4033 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-19/03/2020  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19/3/2020  
सरकार के अपर सचिव।